<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-754/102 NGT /26-27-सिं0-4-E-1865943</u>

प्रेषक,

कुलदीप श्रीवास्तव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0, शासन।

3.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

4. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक 21 अगस्त 2026**

विषयः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-511/2023 प्रियंक भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 (Orignal Application No. 511/2023) (IANo. 346/2024, IANO. 345/2024, IA No. 309/2024) के अनुपालन में बूढ़ी गंगा नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-511/2023 प्रियंक भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 (Orignal Application No. 511/2023) (IANo. 346/2024, IANO. 345/2024, IA No. 309/2024) एवं अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ के पत्र दिनांक 28.07.2026 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बूढ़ी गंगा नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-511/2023 प्रियंक भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 (Orignal Application No. 511/2023) (IANo. 346/2024, IANO. 345/2024, IA No. 309/2024) में बूढ़ी गंगा नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन किये जाने हेतु आदेश दिए गए है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिनांक 05.08.2024 को पारित आदेश के प्रस्तर-5 में निम्न निर्देश दिये गये है:-

'' 5. It is undisputed that river Budhi Ganga is Tributary of River Ganga, therefore its flood plain are required to be defined in terms of Ganga Rejuvenation Order 2016. Therefore, the concerned District Magistrate who is also the Chairman of District Level

Ganga Committee will submit a report atleast one week before the next date of hearing disclosing the steps which have been taken to demarcate the flood plains of river Budhi Ganga..''

3- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 के अनुपालन में अधीक्षण अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन मण्डल-प्रथम, सिंचाई भवन एनेक्सी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रस्तावानुसार बूढ़ी गंगा नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु Coordinates (Latitude & Longitude) के आधार पर प्रदेश के सीमान्तर्गत निम्नलिखित जनपदों में फ्लड प्लेन जोन अधिसूचित किया जाना हैः

क्रमांक	**जनपद**	**Latitude & Longitude**
1	मुजफ्फरनगर	Reach-1
2	मेरठ	Reach-1,Reach-2 ,Reach-3 ,Reach-4
3	अमरोहा	Reach- 3 ,Reach-4
4	हापुड़	Reach- 4

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ०ए० संख्या-511/2023 प्रियंक भारती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2024 (Orignal Application No. 511/2023) (IANo. 346/2024, IANO. 345/2024, IA No. 309/2024) के अनुपालन में बूढ़ी गंगा नदी की 100 वर्ष के रिटर्न पीरियड की बाढ़ के आधार पर बाढ़ मैदान क्षेत्र के निर्धारण एवं सीमांकन हेतु जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा एवं हापुड़ में फ्लड प्लेन जोन के Coordinates (Latitude & Longitude) (प्रति संलग्न) के आधार पर फ्लड प्लेन जोन निर्धारित किया जाता है। इस सम्बन्ध में एन.एम.सी.जी., मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं विभिन्न मा० न्यायालयों द्वारा समय-समय पर पारित दिशा-निर्देश एवं आदेश प्रभावी होंगे।

5- उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
कुलदीप श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-754/102 **NGT (1)/26-27-सिं0-4-E-1865943** तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, प्रयागराज।

3.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन।

4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन।

5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।

7. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

8. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।

9. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 एवं प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

10. संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

11. संबंधित जनपद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

12. संबंधित जनपद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उ0प्र0।

13. संबंधित जनपद के प्रशासक/ मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम/ नगर पालिका, उ0प्र0।

14. संबंधित क्षेत्र के नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के अध्यक्ष, उ0प्र0।

15. समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियत प्राधिकारी, उ0प्र0।

16. संबंधित क्षेत्र के अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

17. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए स्थानीय दूरदर्शन पर समाचार के माध्यम से प्रसारित कराने का कष्ट करें।

18. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-2 को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।

19. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के समस्त अनुभाग।

20. मुख्य अभियंता (गंगा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, मेरठ।

21. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।